कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़)

website - tribal.cg.gov.in ☎ - 2263708 Fax - 2262558 E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक/अ.स./05 पार्ट–1/2020–21/4531 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 06.10.2020

–::विज्ञप्ति ::–

स्व0 हाजी हसन अली पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए प्रविष्टियॉ आमंत्रित

उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्व0 हाजी हसन अली पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी/कार्यरत् ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, जिसने प्रादेशिक स्तर पर उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो।

2/ **सम्मान का स्वरूप** :– यह पुरस्कार एक व्यक्ति को जूरी के निर्णयानुसार प्रदान किया जा सकेगा। पुरस्कार में राशि रू. 2.00 लाख नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जावेगा।

3/ **आवेदन/प्रविष्टियॉ भेजने की समयावधि** :–

3.1 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र/प्रविष्टियॉ बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा **दिनांक 20 अक्टूबर 2020 समय 3:00 बजे अपरान्ह** तक कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) में प्रस्तुत किया जा सकता है, निर्धारित तिथि तथा समयावधि पश्चात् प्राप्त प्रविष्टियॉ/आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। डाक संबंधी विलम्ब के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

3.2 पुरस्कार के नियम कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है।

3.3 प्रविष्टियॉ/आवेदन पत्र लिफाफे पर "स्व0 हाजी हसन अली पुरस्कार वर्ष 2020" अंकित करना होगा।

4/ **प्रविष्टियॉ/आवेदन के लिए मापदण्ड** :– पुरस्कार के लिए प्रविष्टियॉ/आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किये जा सकते हैं :–

4.1 व्यक्ति का पूर्ण विवरण परिचय सहित।

4.2 उर्दू साहित्य के क्षेत्र में किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी।

4.3 यदि पूर्व में कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण।

4.4 स्वरचित साहित्य की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

4.5 उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं, ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।

4.6 यदि आवेदक शासकीय कर्मचारी/अधिकारी है तो पूर्ण विवरण यथा पदनाम, कार्यरत् विभाग का नाम एवं कब से कार्यरत् है, स्पष्ट उल्लेख करें।

4.7 पुरस्कार के लिए चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने की लिखित सहमति।

4.8 प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षो/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा।

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

G:_\ayog 001\Oct-15\letter-.docx